

21/02/2022 पचावली पैसा हुई। पचावली दिनांक 28/06/2021
से तलबी में लकड़ है तदुपरांत कोष प्रतिवादीका
की तलबी जसिये रजिस्टर्ड सर्टीफिकेट से सिद्ध
जावे हेतु तलबना पैसा करने के आदेश दिनांक
21/09/2021 की पालना आदिनांक तक नहीं हुई है
एवं पूर्व में जारीयुक्त कोर्टिस तलबी अग्रस्त है।
कमील वकील प्रतिवादीका की तलबी हेतु तलबना
पैसा नहीं करते हुए न्यायालय आदेश की अवहेलना
की छेनी में आते हैं। अतः पचावली प्रतिवादीका कोष
की तलबी के अभाव में खारिज होय है।

अतः यदि वकील का वाक्य-विवाजन आराजी एवं
व्याजी विवेधाना का तलबी अभाव में अंतर्गत
आदेश-9, नियम-5, जा. को. के तहत खारिज किया
जाता है। निर्णय सुनने न्यायालय में सुनाना जाकर
मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया
जाता है। पचावली केवल मुद्रा नंबर नंबर
से कम लेकर दाखिल दफतर है।

सहायक कलक्टर
सांभर लोक

